तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
10-8-23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन ... अधिकारी ... दिनांक 16-08-23 को पेश हो।	
16-8-23	... हुई। वकुलाय फरीकैन ... अधीन अधिकारी ... दिनांक 21-08-23 को पेश हो।	
21.08.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में भू. अभिलेख निरीक्षक वृत्त– श्रीमाधोपुर के द्वारा दिनांक 07.08.2023 को किये गये मौका निरीक्षण की फर्द मौका रिपोर्ट पेश हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। उक्त फर्द मौका रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण वकील श्री लोकेन्द्र सिंह शेखावत एड0 ने अप्रार्थी सुण्डाराम की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0 टी0 एक्ट का प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रकरण में रास्ते में आने वाली भूमि खसरा नम्बर 2305 व 2306 में प्रार्थी व अन्य खातेदारान् की सह खातेदारी में दर्ज होकर भूमि खसरा नम्बर 2306 में प्रार्थी के पुख्ता मकानात बने होने तथा रास्ते की चौड़ाई अनुसार प्रार्थीगण के मकानात् आने से उक्त बिन्दू पर विचारण किया जाना तथा विचाराधीन रास्ते में नक्शे में की गई तरमीम को प्रार्थी के हिस्से की भूमि ... किये गये इन्द्राज को समस्त खातेदारान् के हक ... भूमि खसरा नम्बर 2312 व 2315 ... खातेदारान की सहमति बतौर कही भी हस्ताक्षर नहीं होने व खातेदार के संज्ञान बिना ही आम रास्ता निकाला जाकर राजस्व रिकार्ड में तरमीम किया जाना न्यायहित में नहीं होने से अग्रिम कार्यवाही कर आदेश पारित नहीं किये जाने बाबत अवगत कराया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर वकील अप्रार्थीगण मय पक्षकार सुण्डाराम को	

–लगातार–

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.08 12:39:33 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार बनाम जटाशंकर

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

तारीख हुक्म

प्रा० पत्र   रक्म - 37/22

सुना गया। वकील अप्रार्थीगण को सुने जाने पर यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी सुण्डाराम ने अपने प्रार्थना पत्र मे अपना मकान खसरा नम्बर 2306 में पुख्ता मकानात बने होना अंकित किया है जबकि तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये प्रस्ताव मे खसरा नम्बर 2306 का कही भी अंकन नही होना प्रकट होता है। रास्ते के काम आने वाली भूमियों में अकेले प्रार्थी सुण्डाराम का हिस्सा ही नहीं जा रहा बल्कि समस्त सहखातेदारान् के हक हिस्सा मे ही भूमि रहती है। प्रचलित रास्ते के प्रकरणों में केवल मात्र भूमि की किस्म ही परिवर्तित होती है। खसरा नम्बर 2312 व 2315 के खातेदारान् के सहमति बतौर कहीं भी हस्ताक्षर नहीं होने का सवाल है तो उसके लिए उक्त खसरा नम्बर 2312 व 2315 के खातेदारान् को उक्त प्रचलित रास्ते से कोई आपत्ति है या होती तो वो न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी–अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते है। इसके लिए सुण्डाराम व उसके अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र में उठाई गई आपत्तियॉं स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाई जाने पर खारिज की जाती है।

प्रकरण में अपीलकर्त्ताओं व अप्रार्थीगणों की सुनवाई कर लिये जाने एंव प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर व भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त श्रीमाधोपुर से मौका स्थिति की भौतिक रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से वकुलाय उभय पक्षकारान् ने बहस सुनी जाने हेतु निवेदन किया। जिस पर प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। प्रकरण मे विस्तृत निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत विविध प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार की जाती है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करें। इस बाबत तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली नियमानुसार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.08 12:39:33 IST
Reason: SelfAttested

21/08/23

(दिलीप सिंह)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0

पीठासीन अधिकारी:– दिलीप सिंह(आर0ए0एस0)

मु0न0 –: 42 / 2021, पुनः दर्ज:– 87 / 2022

जी0सी0एम0एस0 न0 –: 2022 / 401

दायर दिनांक –: 30.11.2022

निर्णय दिनांक –: 21.08.2023

उनवान प्रकरण

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर

प्रार्थी

बनाम्

1. पालाराम पुत्र चौथू
2. गिरधारीलाल पुत्र चौथू
3. कमला देवी पुत्री चौथू
4. बोदी देवी पुत्र चौथू
5. मुरली देवी पुत्री चौथू
6. सूर्यनारायण पुत्र चौथू

जाति जाट निवासीगण ढाणी जोशियावाली ग्राम श्रीमाधोपुर पटवार हल्का श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

7. हरिसिंह पुत्र नारायणलाल
8. बहादुर पुत्र मुरलीधर जाति जाट निवासीगण ढाणी डेरा दूदा वार्ड नम्बर 9 श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 वगै0।

अप्रार्थीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.08 12:39:33 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :–

सरकारी पेरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर ।

श्री कमल कुमार शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 ।

श्री लोकेन्द्र सिंह शेखावत, अभिभाषक शेष अप्रार्थीगण।

21/08/23

दिलीप सिंह

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

श्री सरदार सिंह कुडी–प्रथम, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 7 व 8।

विविध प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता

–: निर्णय :–

पत्रावली माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर के द्वारा अपील संख्या 61/2022 पारित निर्णय आदेश दिनांक 21.09.2022 के द्वारा अपील अपीलान्टस आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन इस अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय आदेश दिनांक 26.08.2021 को निरस्त किया जाकर प्रकरण इस न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया हैं कि वे अपीलकर्ता को सुनकर एवं सभी दस्तावेजों का अवलोकन करके पुनः निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रकरण में पुनः सुनवाई किये जाने हेतु पत्रावली रिकार्ड से तलब होकर पेश होने पर पुनः न्यायालय में मुकदमा नम्बर 87/2022 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलकर्ता पक्षकारान को सुनवाई हेतु अदालती नोटिस जारी किए गए।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर ने प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत दिनांक 17.08.2021 द्वारा ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 2225/6, 2223/1, 2222, 2221, 2304, 2305, 2307, 2308, 2310, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316 में से रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के प्रस्ताव मय नक्शा भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर ने राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, जयपुर के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर के दिनांक 17.08.2021 के द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नक्शा प्राप्त हुआ। उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा दिये निर्देशों की पालना में एवं राजस्थान भू – राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एव 132 एवं राजस्थान भू–राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.08 12:39:33 IST
Reason: SelfAttested

21/08/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 व 86 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस मे दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि मे से प्रस्तावित रास्ता गै0मु0 रास्ता के रूप मे दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये थे। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनाक 26.08.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के यहॉ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एव अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर के आदेश को माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 21.09.2022 के द्वारा निरस्त किया जाकर इस न्यायालय को रिमाण्ड किया जाकर अपीलकर्त्ता को सुनने एंव समस्त दस्तावेजों का अवलोकन करने बाबत निर्देशित किया गया है।

माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 21.09.2022 के द्वारा निर्देशित किये जाने पर अपीलकर्ताओं को इस न्यायालय द्वारा जरिये अदालती नोटिस तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 की ओर से श्री कमल कुमार शर्मा एड0 एंव अप्रार्थीगण संख्या 7 व 8 की ओर से श्री सरदार सिंह कुड़ी प्रथम एड0 एंव शेष अप्रार्थीगण की ओर से श्री लोकेन्द्र सिंह शेखावत एड0 उपस्थित आयें एंव जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहे गये। जिस पर वकील अप्रार्थीगण को जवाब पेश करने हेतु अवसर दिये गये। वकील अप्रार्थीगण के द्वारा बार–बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं करने पर प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वादग्रस्त आराजी भूमियों में अवस्थित प्रचलित रास्ते की वस्तुस्थिति की मौका रिपोर्ट तथा मौके पर रास्ता चालू होने या नहीं होने के सम्बन्ध में इस न्यायालय के जरिये पत्रांक 2287/रीडर/2023 दिनांक 18.07.2023 के द्वारा भौतिक स्थिति की रिपोर्ट चाही गई। जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 1278/भू. अ./23 दिनांक 01.08.2023 के द्वारा फर्द मौका जॉच रिपोर्ट मय फोटोग्राफस के पेश हुए। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी जॉच रिपोर्ट में अवगत कराया है कि उक्त खसरा नम्बरों में से ढाणी बिज्यावाली से भोजलाई जो[illegible] जाने वाला रास्ता मौके पर चालू है। किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं है। खसरा नम्बर 2222 रकबा 0.04 किस्म गै0

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.08 12:39:33 IST
Reason: SelfAttested

21/08/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

मु0 चाह है, जो मौके पर अवस्थित नही है। उक्त खसरा नम्बर पर माननीय सिविल न्यायालय का स्थगन आदेश होने के कारण उक्त खसरा नम्बर मे रास्ते का राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद नही किया जाना अंकित किया है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर प्राप्त रिपोर्ट पर वकुलाय उभय पक्षकारान् मय अपीलकर्त्ताओं को सुना गया। जिस पर [illegible] पालाराम पुत्र चौथूराम व अन्य अप्रार्थीगण के वकील श्री कमल कुमार शर्मा एड0 एंव अन्य शेष अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री लोकेन्द्र सिंह शेखावत एड0 ने वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्बरान् में से खसरा नम्बर 2304 को छोडकर शेष खसरा नम्बरान् पर जा रहे प्रचलित रास्ते से कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया तथा खसरा नम्बर 2304 में अप्रार्थी पालाराम द्वारा निर्मित कमरा, ट्यूबवेल व गुमटी को छोड़कर यदि रास्ता दिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नही होना जाहिर करते हुए प्रकरण में पुनः दिनांक 04.08.2023 को प्रातः 11.00 बजे गिरदावर हल्का श्रीमाधोपुर के साथ अप्रार्थी पालाराम पुत्र चौथूराम जाति जाट व अन्य अप्रार्थीगणों के अधिवक्तागणों श्री कमल कुमार शर्मा एड0 व श्री लोकेन्द्र सिंह शेखावत एड0 तथा अन्य अप्रार्थीगण की मौजूदगी में पुनः मौका निरीक्षण कर भूमि खसरा नम्बर 2304 तन् ग्राम श्रीमाधोपुर के मौका स्थिति का निरीक्षण कर फर्द मौका रिपोर्ट आगामी पेशी 10.08.2023 तक भिजवाये जाने हेतु भू. अभिलेख निरीक्षक वृत्त– श्रीमाधोपुर को आदेशित किये जाने पर भू. अभिलेख निरीक्षक वृत्त– श्रीमाधोपुर के द्वारा दिनांक 07.08.2023 को अपीलकर्ताओं व उनके अधिवक्तागणों की उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया जाकर फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर मौका रिपोर्ट पर उपस्थित पक्षकारान् पालाराम, करणसिंह, हरिसिंह, सुण्डाराम, बहादुर, हरि, नाथूराम, रामसिंह, झाबरमल इत्यादि के हस्ताक्षर करवाये जाकर मौका रिपोर्ट में अंकित किया है कि मूल खसरा नम्बर 2304 के दक्षिण–पश्चिम दिशा में अवस्थित मुस्तकिल बिन्दू खसरा नम्बर 2222 गै0 मु0 चाह/नाल से खसरा नम्बर 2304 की दक्षिणी सीमा मौके पर कायम की जाकर खसरा नम्बर 2304 की दक्षिणी दिशा में 300 वर्गमीटर [illegible]ड अधिकारी के आदेश से गै0 मु0 रास्ते के रूप में दर्ज होना [illegible] 2304 रकबा 0.03 हैक्टर किस्म गै0 मु0 रास्ता के गै0 मु0 चाह से नाप [illegible] मौके पर निशान कायम किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.08 12:39:33 IST
Reason: SelfAttested

21/08/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

जाने पर वर्तमान रास्ता वही से चल रहे होने तथा पक्षकार पालाराम का मकान व कुआ मौके पर काटे हुए रास्ते मे नही आना अपनी फर्द मौका रिपोर्ट मे अंकित किया है।

उक्त प्राप्त रिपोर्ट पर वकुलाय उभय पक्षकारान् को सुना गया। जिस पर उपस्थित अधिवक्ता श्री सरदार सिंह कुडी प्रथम एवं श्री कमल कुमार शर्मा एड0 ने उक्त प्राप्त रिपोर्ट्स से सहमत होना जाहिर किया एवं श्री लोकेन्द्र सिंह एड0 ने अप्रार्थी सुण्डाराम की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट का प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रकरण मे रास्ते में आने वाली भूमि खसरा नम्बर 2305 व 2306 मे प्रार्थी व अन्य खातेदारान् की सह खातेदारी में दर्ज होकर भूमि खसरा नम्बर 2306 मे प्रार्थी के पुख्ता मकानात बने होने तथा रास्ते की चौडाई अनुसार प्रार्थीगण के मकानात् आने से उक्त बिन्दू पर विचारण किया जाना तथा विचाराधीन रास्ते में नक्शे में की गई तरमीम को प्रार्थी के हिस्से की भूमि में किये गये इन्द्राज को समस्त खातेदारान् के हक हिस्सा की भूमि मे होना तथा रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 2312 व 2315 के खातेदारान की सहमति बतौर कही भी हस्ताक्षर नहीं होने व खातेदार के संज्ञान बिना ही आम रास्ता निकाला जाकर राजस्व रिकार्ड में तरमीम किया जाना न्यायहित में नहीं होने से अग्रिम कार्यवाही कर आदेश पारित नहीं किये जाने बाबत अवगत कराया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर वकील अप्रार्थीगण मय पक्षकार सुण्डाराम को सुना गया। वकील अप्रार्थीगण को सुने जाने पर यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी सुण्डाराम ने अपने प्रार्थना पत्र में अपना मकान खसरा नम्बर 2306 में पुख्ता मकानात बने होना अंकित किया है जबकि तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये प्रस्ताव में खसरा नम्बर 2306 का कही भी अंकन नहीं होना प्रकट होता है। रास्ते के काम आने वाली भूमियों में अकेले प्रार्थी सुण्डाराम का हिस्सा ही नही जा रहा बल्कि समस्त सहखातेदारान् के हक हिस्सा में ही भूमि रहती है। प्रचलित रास्ते के प्रकरणो मे केवल मात्र भूमि की किस्म ही परिवर्तित होती है। खसरा नम्बर 2312 व 2315 के खातेदारान् के सहमति बतौर कही भी हस्ताक्षर नही होने का सवाल है तो उसके लिए उक्त खसरा नम्बर 2[illegible] व [illegible]5 के खातेदारान् को उक्त प्रचलित रास्ते से कोई आपत्ति [illegible] के समक्ष उपस्थित होकर अपनी-अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते है। इसके [illegible] सुण्डाराम व उसके अधिवक्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.08 12:39:33 IST
Reason: SelfAttested

21/08/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

के द्वारा प्रार्थना पत्र में उठाई गई आपत्तियाँ स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाई जाने पर खारिज की जाती है।

प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, दस्तावेजात् व फर्द मौका रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर व भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त श्रीमाधोपुर की फर्द मौका जाँच रिपोर्ट व इसके संलग्न फोटोग्राफ्स इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के यहाँ इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.08.2021 के द्वारा कृषि भूमि विवादित खसरो में जा रहे ढाणी साहपावाली से नवोदा व जोशियावाली से होता हुआ भोजलाई तक चालू रास्ते का राजस्व अभिलेख में अंकन किये जाने के आदेश के विरुद्ध अपील केवल मात्र खसरा नम्बर 2222 में जारी किये गये गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में पेश की गई है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों की पालना में खसरा नम्बर 2222 के खातेदारान् व अपीलकर्त्ताओं को सुनवाई हेतु समुचित अवसर दिया जाकर दस्तावेजात् प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। अपीलकर्त्ताओं की मांग पर प्रकरण में पूर्व में पारित निर्णयानुसार काटे गये प्रचलित रास्ते के मौके पर चालू होने या नहीं होने तथा अपीलकर्त्ताओं के मकान इत्यादि उक्त रास्ते में आने या नहीं आने के सम्बन्ध में मौका जाँच रिपोर्ट व आवश्यक मौके के फोटोग्राफ्स सहित मँगवाये गये। जो न्यायालय में पेश होने पर उक्त अपीलकर्त्ताओं को व उनके अधिवक्तागणों को बहस से पूर्व व बहस के दौरान विस्तारपूर्वक समझाते हुए उक्त प्रचलित रास्ते को मौके पर चालू हालत में होने तथा कटे हुए रास्ते में किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं होने से अवगत कराते हुए वरवक्त मौका निरीक्षण के समय तैयार की गई फर्द मौका रिपोर्ट में अपीलकर्त्ताओं के हस्ताक्षर दर्ज होने से इनको उक्त गै0 मु0 रास्ते से कोई आपत्ति नहीं होना प्रकट होता है। उक्त प्राप्त रिपोर्ट्स से वर्तमान में चल रहे रास्ते में अपीलकर्त्ता पालीराम का मकान [illegible] नहीं आना भी फर्द मौका रिपोर्ट से प्रमाणित होता है। उक्त प्रचलित रास्ता [illegible] चालू होकर सार्वजनिक हित में उपयोग में आना प्रमाणित होता है। उक्त प्रचलित रास्ता का राजस्व अभिलेख में

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.08 12:39:33 IST
Reason: SelfAttested

21/08/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

गै० मु० रास्ता दर्ज होना एवं राजस्व नक्शे मे उक्त रास्ते की तरमीम का अंकन होना भी प्रकट होता है। अतः ऐसी स्थिति मे तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा पूर्व में भिजवाये गये प्रचलित रास्ते के प्रस्ताव को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 व 86 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

कियात्मक आदेश

तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत प्रचलित रास्ते सम्बन्धी प्रस्ताव प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 तथा राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 व 86 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किये जाते है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना के भूमि खसरा नम्बर 2225/6 रकबा 0.31 हैक्टर में से 0.002 हैक्टर, 2223/1 रकबा 1.78 हैक्टर में से 0.2070 हैक्टर, 2222 रकबा 0.04 हैक्टर में से 0.0350 हैक्टर, 2221 रकबा 3.17 हैक्टर में से 0.0800 हैक्टर, 2304 रकबा 0.61 हैक्टर में से 0.0300 हैक्टर, 2310 रकबा 2.13 हैक्टर में से 0.0110 हैक्टर, 2314 रकबा 0.74 हैक्टर में से 0.0380 हैक्टर, 2313 रकबा 0.21 हैक्टर में से 0.0200 हैक्टर, 2312 रकबा 0.90 हैक्टर में से 0.0220 हैक्टर, 2305 रकबा 1.81 हैक्टर में से 0.1410 हैक्टर, 2307 रकबा 0.05 हैक्टर में से 0.0220 हैक्टर, 2308 रकबा 0.05 हैक्टर में से 0.0450 हैक्टर, 2315 रकबा 1.32 हैक्टर में से 0.0380 हैक्टर, 2316 रकबा 0.38 हैक्टर में से 0.0110 हैक्टर (लगभग रास्ते की चौड़ाई 30 फुट) भूमि मौके पर चालू रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में संलग्न नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खातेदारी भूमि [illegible] प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने एवं गैर मुमकीन रास्ते में आने वाली भूमियों का लगान कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। गैर मुमकीन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान के खाते में ही दर्ज रहेगी। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त प्रचलित रास्ते का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.08 12:39:33 IST
Reason: SelfAttested

21/08/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

प्रस्ताव एंव नक्शा ट्रेस को उक्त आदेश का भाग बनाया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर तदनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करे। इस बाबत तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

21/08/23

(दिलीप सिंह)

उपखण्ड अधिकारी

श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 21.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

21/08/23

(दिलीप सिंह)

उपखण्ड अधिकारी

श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.09.08 12:39:33 IST
Reason: SelfAttested